कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0

प्रार्थी :- सर्वश्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0)30, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली।

पत्र सं0 :- 164/2008

प्रार्थी की ओर से :- श्री इश्तियाक हुसैन, अध्यक्ष ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0)30, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली, मुख्यालय : बी -29, विधायक निवास, दारुलशफा, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 26-3-2008 में काटन वेस्ट यार्न को करमुक्त करने का अनुरोध किया है।

2- मुख्यालय के पत्र संख्या-08, दिनांक 1-4-08 के द्वारा एडीशनल कमिश्नर(ग्रेड-1) वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद से व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर आख्या मांगी गयी। एडीशनल कमिश्नर(ग्रेड-1) वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या- 171, दिनांक 16-4-08 से आख्या प्रेषित की है। जिसमे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत काटन वेस्ट यार्न पर 4% की कर देयता होने का उल्लेख किया गया है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 22-4-2008 पर श्री इश्तियाक हुसैन, अध्यक्ष उपस्थित हुये और उनके द्वारा धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा एडीशनल कमिश्नर(ग्रेड-1) वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद से प्राप्त आख्या का परिशीलन किया और अभिलेखो का अवलोकन किया । उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूची-2 भाग-क के क्रमांक-6 पर अंकित प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

6	All types of yarn other than cotton & silk yarn in hank; sewing thread ; cotton waste yarn.

उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत काटन वेस्ट यार्न पर करदेयता 4 प्रतिशत निर्धारित है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दि0 26-3-08 में धारा-59 के अन्तर्गत काटन वेस्ट यार्न को करमुक्त करने का अनुरोध किया है। उक्त अनुरोध का क्रियान्वयन धारा-59 की परिधि में नहीं आता है। अत: धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक-23 अप्रैल, 2008

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।